

समाहरणालय, जमुई
(निर्वाचन शाखा)

निविदा सूचना

जमुई जिला अन्तर्गत बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2020 के क्रम में उपयोग होने वाली सामग्री 1. लेखन एवं अन्य सामग्री / मतदान एवं मतगणना सामग्री 2. विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों, लिफाफा एवं रजिस्टर का मुद्रण 3. भाड़े पर टेण्ट शमियाना, कुर्सी, टेबल, दरी, तिरपाल आदि 4. जेनरेटर (अस्थायी विद्युतीकरण) एवं ध्वनी विस्तारक यंत्र 5. कम्प्यूटर सामग्री, सी.सी.टी.भी. कैमरा, प्रोजेक्टर, लाईव विडियो स्ट्रीमिंग, भाड़े पर कम्प्यूटर, प्रिन्टर, टी0वी0, फैंक्स मशीन, स्कैनर, यू.पी.एस., एवं जी.पी.एस. मशीन 6. विडियोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी 7. भोजन, नस्ता, चाय सामग्री 8. भाड़े पर विभिन्न प्रकार के वाहन 9. फ्लैक्स, होडिंग एवं फ्रेमिंग 10. कोविड-19 (सनैटाईजर, मास्क, ग्लब्स आदि) हेतु मुहरबंद लिफाफे में इच्छुक फर्मों से अल्पकालीन निविदा दिनांक 24.07.2020 तक आमंत्रित की गयी थी।

Covid-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु बिहार राज्य में दिनांक 16.07.2020 से दिनांक 31.07.2020 तक लॉकडाउन लागू रहने के कारण निविदा की तिथि विस्तार करते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय, जमुई में दिनांक 04.08.2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक दें सकते हैं। तकनीकी निविदा में सफल होने पर उनका वित्तीय निविदा खोली जाएगी। प्राप्त सभी निविदाएँ दिनांक 05.08.2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में गठित जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायगी। निविदा खोले जाने के समय निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। कोई भी निविदा निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात स्वीकार नहीं किया जायगा। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा की शर्तें निविदा प्रपत्र में उल्लेखित है।

निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में जिला निर्वाचन कार्यालय, जमुई से सम्पर्क किया जा सकता है। जिला निर्वाचन कार्यालय, जमुई द्वारा निर्गत निर्धारित प्रपत्र में ही निविदा स्वीकार की जायेगी। जिला द्वारा निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करने हेतु प्रत्येक आइटम का अलग-अलग मो0 500.00/- (पाँच सौ रुपये) का नाजीर रसीद जिला निर्वाचन शाखा, जमुई में जमा कर प्राप्त किया जा सकता है, जो वापस नहीं होगा।

विस्तृत जानकारी जमुई जिले के website – <https://jamui.nic.in> पर देखा जा सकता है।


जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
-सह- जिला पदाधिकारी, जमुई।